(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 03/2022 दायर दिनांकः 03.02.2022

उनवान

1. ग्यास्सीराम आ० रामा जाति धाकड़ नि. सुनेल हाल नि. उन्हेल तहसील सुनेल
2. मानीबाई पुत्री रामा पत्नी भंवरलाल जाति धाकड़ हाल नि. सामरिया तहसील सुनेल
3. धापूबाई पुत्री रामा पत्नी बालाराम जाति धाकड़ हाल नि. हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी

——अपीलांटस

बनाम

1. बालचंद पुत्र भंवरलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. भंवरलाल पुत्र भुवाना जाति धाकड़ नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. धापूबाई पुत्री भुवाना जाति धाकड़ नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. ग्राम पंचायत सुनेल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुनेल (रेकार्ड वर्तमान ग्राम पंचायत उन्हेल में है)

— रेस्पोडेन्टगण

अपील इन्तकाल सं. 1571 दिनांक 07.01.1997 ग्राम पंचायत सुनेल

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक :—

अभिभाषक अपीलांटस :— श्री मसूद अहमद खान

रेस्पोडेन्टस :— एकतरफा

आदेश दिनांक : 18.09.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि माननीय [illegible] के सरपंच में बगैर जांच व तहकीकात किये हल्का पट[illegible] की आधारहीन रिपोर्ट दिनांक 04.01.1997 पर विश्वास करके [illegible] का कथित झूठी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

कहानी के अनुसार शंकर के स्थान पर बालचंद पुत्र भंवरलाल का नाम दर्ज करने का आदेश देने में भूल की है। यद्यपि कोरम के सदस्य में नारान, फातेमा, बतूल भेरूलाल देवेन्द्र कुमार, अमरसिंह, योगेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर हो रहे है मगर उन्होने बालचंद की कथित गोद की कहानी की पुष्टि नहीं की है। इसलिए आदेश जेर अपील विधि विरूद्ध है। नामान्तरण रद्ध होने योग्य है और उसके आधार पर किए गए राजस्व रेकार्ड के अंकन दर अंकन निरस्त किये जाकर रेकार्ड से डिलिट कर हटाये जाने योग्य है। माननीय अधिस्थ ग्राम पंचायत सुनेल की तत्कालीन संरपंच ने भूअभिलेख निरिक्षक सुनेल की रिपोर्ट व राय दिनांक 06.01.1997 को देखा तक नहीं है क्योंकि बाद जांच तस्दीक करने का परामर्श दिया है। मगर आदेश दिनांक 07.01.1997 से कतई साबित नहीं है कि सरपंच द्वारा किसी प्रकार की जांच की गई हों। इसलिए आदेश दिनांक 07.01.1997 विधि विरूद्ध है। नामान्तरण जेर अपील रद्ध होने योग्य है और उसकी आड़ में की गई समस्त प्रविष्ठियां दर प्रविष्ठियां कलमजन होने योग्य है। कानूनन गोद के आधार पर नामान्तरण तस्दीक नहीं किया जा सकता क्योंकि गोद जाने का प्रश्न नामान्तरण कार्यवाहीं में निर्णित नहीं किया जा सकता इसलिए विधि विरूद्ध होने से रद्ध होने योग्य है। शुन्य और अवैध आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। जिसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। फिर भी समस्त जालसाजियों और हैराफैरी का ज्ञान वर्तमान हल्का पटवारी जी से दिनांक 31.01.2022 कों होने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है जिसके लिए कोई प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है। कथित बालचंद पुत्र भंवरलाल मृतक शंकर का वारिस नहीं है। उसी आधार पर बालाराम पुत्र भंवरलाल शंकर का वारिस नहीं है। बालाराम का शंकर के 1/3 हिस्से से कोई वास्ता नहीं है। उसके लाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा रामा के वारीसान तथा भुवाना के वारीसान में समायोजित होने से अपीलांटस का 1/2 हिस्सा हुआ एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 का 1/2 हिस्सा हुआ जिसके लिए अपीलान्टस ने माननीय न्यायालय हाजा में धारा 88, 53, 209 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत घोषणा [illegible] एंव विधिसम्मत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत कर दिया है। आदेश जेर [illegible] तथा कानून सम्मत

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(7)

नही है एंव रद्द होने योग्य है। अपील उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अपील माननीय न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत है। अन्य कारण बहस के समय मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मय खर्चा स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत सुनेल के ततकालिन सरपंच का आदेश दिनांक 07.01.1997 जिसके द्वारा नामा.सं. 1571 ग्राम सुनेल फोती बगैर किसी जांच के बिना किसी अधिकारिता के तस्दीक किया को रद्द फरमाने के आदेश प्रदान करे। उसके आधार पर किया गया अमल दरामद की प्रविष्टियां निरस्त करने की कृपा की जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैटस के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 29.06.2022 को रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।

3. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम सुनेल नामान्तरण संख्या 1571 दिनांक 07.01.1997 की सत्यप्रति, ग्राम सुनेल का खाता सं. 209 जमाबंदी सं. 2053–56, खाता सं. 313 जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल पेश की।

4. अभिभाषक अपीलांटस द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसके अनुसार अपीलान्ट् ग्यारसीराम, मानीबाई, घापुबाई पिसरान रामा जाति धाकड़ निवासी उन्हेल तह० सुनेल जिला झालावाड़ राज. से माननीय न्यायालय में धारा 75 एल०आर०एक्ट के तहत एक अपील दिनांक 03.02.2022 को पेश की जिसमें नामांतकरण संख्या 1571 दिनांक 07.01.1997 ग्राम पंचायत सुनेल की सरपंच द्वारा ग्राम सुनेल की आराजी खसरा नं. 2428 व 2429 की 4 बीघा 13 बिस्वा में मृतक शंकर पुत्र लक्ष्मण के फोत होने पर तस्दीक किया गया को खारीज किये जाने की प्रार्थना की गई है। जिन आराजियात के सम्बन्ध में नामांतकरण तस्दीक किया गया है वो लक्ष्मण पुत्र हीरा की खातेदारी की आराजी रही है। लक्ष्मण के तीन पुत्र हुए जिनका शजरा निम्न प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

लक्ष्मण पुत्र हीरा फोत

↓

रामा (फोत)	भवाना (फोत)	शंकलाल
1– ग्यारसीराम – पुत्र	1– भंवरलाल – पुत्र	लाऔलाद (फोत)
2– मानीबाई – पुत्री	2– धापुबाई –पुत्री	
3– धापुबाई – पुत्री	रेस्पोडेन्ट्स नं. 2 व 3	
अपीलान्ट		

शंकर पुत्र लक्ष्मण के लाऔलाद फौत होने पर भवाना ने हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत सुनेल के सरपंच से मिल कर अपने पुत्र भंवरलाल रेस्पोडेन्ट नं. 2 के पुत्र बालचंद रेस्पोडेन्ट नं. 1 को शंकर का गोद पुत्र बताकर शंकर के हिस्से की 1/3 हिस्सा आराजी पर भवाना ने अपने पोत्र बालचन्द का नाम दर्ज करवा लिया। ग्राम पंचायत सुनेल की सरपंच ने बिना जांच व तहकिकात किये बगैर हल्का पटवारी की आधारहीन रिपोर्ट दिनांक 04.01.1997 की रिपोर्ट इस प्रकार है (खातेदारान में से शंकर को फोत हुए करीब 1 माह हो चुका है शंकर के कोई औलाद एवं बैवा नहीं है इसनें जाति के रिवाज के हिसाब से अपने भाई के पोत्र बालचन्द पुत्र भंवरलाल को गोद लिया था एवं अन्तिम संस्कार भी बालचन्द से ही करवाया गया। अतः इन्तकाल खोल कर वास्ते तस्दीक उचित आदेश हेतु पेश है) दिनांक 06.01.1997 को आई०एल०आर० ने अपनी जांच रिपोर्ट में केवल मुताबिक जमाबन्दी अंकन सही है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खातेदार शंकर का लाऔलाद फोत होना जाहीर हुआ। मृत्यु प्रमाण पृष्ठ पर चस्पा है। अतः बाद जांच तस्दीक हेतु पेश है। जमाबन्दी के अंकन में शंकर के स्थान पर बालचन्द पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ सा०देह खातेदार लिखा है। अगर गोद पुत्र के नाम पर इन्तकाल खोला गया होता तो दत्तक पुत्र यानि बालचन्द दत्तक पुत्र शंकर लिखा होना चाहिए था इसलिए पटवारी रिपोर्ट व आई०एल०आर० जांच रिपोर्ट गलत है और उसके आधार पर तस्दीक किया गया नामांतकरण भी गलत है तथा खारीज होने योग्य है। इस [illegible] ने भी नामांकरण संख्या 1571 दिनांक 09.01.1997 में [illegible] पुत्र भंवरलाल दर्ज करने का आदेश दिया है जो सही [illegible] आई०एल०आर० व ग्राम पंचायत की सरकार ने भवाना से मिली भगत [illegible] नामांतकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(9)

1571 तस्दीक किया जो सही नहीं है। गोद पुत्र होने का कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया गया है एवं केवल झूठी गवाही व झूठी रिपोर्टो के आधार पर नामांकरण खोला गया है जो रद्द होने योग्य है क्योकि शंकर के लाऔलाद फोत होने पर उसका 1/3 हिस्से पर दोनो भाईयों रामा व भवाना ने समायोजित होकर दोनो का 1/2–1/2 हिस्सा होना चाहिए था। कानूनन गोद के आधार पर व बिना किसी दस्तावेज के नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह है कि शंकर अपने बड़े भाई रामा के वारिसान अपीलान्ट में से ग्यारसीराम के पास जीवन पर्यन्त रहता रहा। उसने अपने दूसरे भाई भवाना के पुत्र, भंवरलाल के पुत्र बालचन्द को कभी–भी गोद नहीं रखा गोद की झूठी और आधारहीन कार्यवाही बताकर हल्का पटवारी व कानूनगो की गलत रिपोर्ट के आधार ग्राम पंचायत सुनेल के सरपंच ने नामांतकरण संख्या 1571 तस्दीक किया है जो गलत है और खारीज होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने पर रेस्पोडेन्ट्स को माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये बावजूद सूचना के रेस्पोडेन्ट्स माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुए है और उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है। रैस्पोन्ट्स को यह अच्छी तरह से पता है कि गोद की कहानी उनके द्वारा बनाई गई है वो फर्जी एवं झूठी है। रैस्पोन्ट्स ने अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील का किसी प्रकार का कोई विरोध माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया गया है इसलिए भी अपीलान्ट द्वारा पेश की गई स्वीकार किये जाने योग्य है। शेष अन्य सभी तथ्य अपील में दर्ज किये हुए है। अतः अपीलान्ट् की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1571 दिनांक 07.01.1997 जो ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा नियम विरुद्ध तस्दीक किया गया है खारीज फरमाया जाये तथा इस नामांतकरण के आधार पर जो प्रवष्टिया राजस्व रिकार्ड में हुई है उन्हे भी निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

5. अभिभाषक अपीलांटस की बहस [illegible] में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पेश ग्राम [illegible] आराजी की जमाबंदी सं. 2053–56 के अवलोकन से जाहिर है [illegible] आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

लगातार पेज 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

खाता सं. नया 209 पुराना 193 किता 2 रकबा 4–13 बीघा ग्यारसीराम पुत्र रामा, मानीबाई, धापूबाई पुत्री रामा, पार्वतीबाई बेवा रामा, भवाना व शंकर पि. लक्ष्मण जाति धाकड के खाते दर्ज रिकार्ड थी। वादग्रस्त आराजी में मूलतः रामा, भवाना व शंकर पिस. लक्ष्मण जाति धाकड के सहखाते दर्ज रिकार्ड था। अपीलांट द्वारा पेश ग्राम सुनेल के नामा.सं. 1571 दिनांक 07.01.1997 की पंजिका के कालम सं. 16 में पटवारी हल्का सुनेल की रिपोर्ट दिनांक 04.01.1997 के अनुसार *"खातेदार शंकर पि. लक्ष्मण को फोत हुए करीब एक माह हो चुका है। शंकर के कोई औलाद व बेवा नहीं है इसलिए जाति रिवाज के हिसाब से अपने भाई के पौत्र बालचन्द पि. भंवरलाल को गोद लिया था एवं अंतिम संस्कार भी बालचन्द से ही करवाया गया है। अतः इन्तकाल खोलकर वास्ते तस्दीक उचित आदेशार्थ पेश है"*। नामान्तरण पंजिका के साथ किसी प्रकार का रजिस्टर्ड या अन रजिस्टर्ड गोदनामा संलग्न नहीं है न ही इसका अंकन है। भू. अभिलेख निरीक्षक सुनेल ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 06.01.1997 में अंकन किया है कि *"मुताबिक जमाबंदी अंकन सही है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खातेदार शंकर लाऔलाद फोत होना जाहिर है। मृत्यु प्रमाण पत्र पुश्त पर चस्पा है। अतः बाद जांच तस्दीक हेतु पेश हैं"*। ग्राम पंचायत सुनेल के निर्णय दिनांक 07.01.1997 के अनुसार *"इन्तकाल सं. 1571 कोरम के समक्ष पेश हुआ। खातेदार शंकर पि. लक्ष्मण फोत होना तस्दीक हुआ। शंकर के कोई औलाद नहीं होने पर अपने भाई के पौत्र बालचन्द को गोद लिया है। अतः शंकर के स्थान पर बालचन्द पि. भंवरलाल का नाम दर्ज हो"*। अतः ग्राम पंचायत सुनेल के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने बिना किसी रजिस्टर्ड गोदनामें के बालचन्द को गोदपुत्र मानकर खातेदारी दर्ज की है। ग्राम पंचायत के निर्णय के साथ बालचन्द को गोद लिए जाने का कोई भी अपंजीकृत दस्तावेज भी पेश नहीं है। जाति समाज के समक्ष स्थानीय परम्परा अनुसार भी शंकर द्वारा बालचन्द को गोद लिए जाने [illegible] कोरम के निर्णय के साथ संलग्न नहीं है। केवल पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की बालचन्द को गोद लिए जाने की टिप्पणी मात्र के आधार पर बिना किसी जांच पडताल के ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया जाना जाहिर होता है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना और अपने पक्ष में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं करने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट अपने पक्ष में कुछ भी कहना या पेश करना नहीं चाहते है।

6. भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के प्रावधानो में कही भी गोदनामा (Deed of adoption) का उल्लेख नहीं है। अतः जाहिर है कि गोदनामा का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में भी दत्तक ग्रहण विलेख का पंजीकरण अनिवार्य होने का कोइ अंकन नहीं है। इस अधिनियम में केवल वैध गोदनामें के लिए आवश्यक कानूनी शर्तो का उल्लेख किया गया है। **हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 से 11 में वैध दत्तक ग्रहण की शर्ते उल्लेखित** है जिसमें गोदनामें पर गोददाता माता पिता एवं गोदग्रहिता माता पिता की लिखित सहमति, गोद लेने की क्षमता, गोदग्रहिता दम्पत्ति की मानसिंक स्वस्थता, गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु, गोद लिए जाने बच्चे एवं गोदग्रहिता माता पिता की आयु में अन्तर आदि शर्ते शामिल है और एक वैध गोदनामें के लिए उक्त सभी शर्तो की पालना होना अनिवार्य है।

7. हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्टस के न्यायालय में अनुपस्थित रहने और उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से शंकर पि. लक्ष्मण धाकड द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 बालचन्द पि. भंवरलाल को यदि विधिवत रूप से गोद लिए जाने का कोई गोदनामा या अन्य साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं हुई है।

8. अपीलांटस द्वारा उक्त नामान्तरण सं. 1571 के तस्दीक होने के 25 साल बाद अपील पेश की गई है। 25 वर्षो की देरी की माफी हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है और न ही देरी का कारण बताया गया है। अपीलांटस द्वारा दिनांक 31.01.2022 को पटवारी हल्का सुकेत से उक्त नामान्तरण की जानकारी होना एवं कारण हेतुक [illegible] बताया गया है लेकिन इसके पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अभिभाषक अपीलांटस का कथन है कि अपीलांटस ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व [illegible] किसान है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त भूमि पर मौके पर बराबर कब्जा चला आ रहा है इसलिए नामान्तरण की जानकारी 2022 में हुई है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में माफ किया जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर तथा गोदनामे के अभाव में ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की आराजी खाता संख्या 74 खसरा नं0 572 रकबा 0–18 बीघा के संबंध में ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा तस्दीक नामा.सं. 1571 दिनांक 07.01.1997 के विधि विरूद्ध होने से अपीलांट की अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

10. परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ग्राम सुनेल तहसील सुनेल का फोती नामा.सं. 1571 दिनांक 07.01.1997 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिया जाता है कि वह ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी में मृतक खातेदार शंकर पि. लक्ष्मण जाति धाकड द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 बालचन्द के पक्ष में किये गये कथित गोदनामें की जांच कर पुनः विधिवत नामान्तरण दर्ज करे। यदि कोई वैध गोदनामा नहीं है तो मृतक शंकर पि. लक्ष्मण के विधिक वारीसानो की जांच कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 से 12 के प्रवधानो के अनुसार फोती नामान्तरण दर्ज करे। **रेस्पोडेन्टस आदेश की तारीख से 60 दिवस के अंदर न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है।**

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/25

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner